

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रस्तावना

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 520] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 14, 1972/अग्रहायण 23, 1894
No. 520] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 14, 1972/AGRAHAYANA 23, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th December 1972

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Nineteenth Amendment Order, 1972.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968—

(i) The existing item No. 7 may be renumbered as 7(a).

(ii) After the existing item No. 7(a) as so renumbered, the following shall be added namely:—

"7(b). All categories of semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins, and crust leather."

[No. E(C)O, 1968/AM(89).]

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1972

एस० ओ० 748(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 19 वां संशोधन आदेश, 1972 की संख्या दी जाये।

2. निर्यात (नियंत्रण), 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग 'बी' में :—

(1) वर्तमान मव संख्या 7 को 7 (ए) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाए।

(2) पुनःसंख्यांकित की गई वर्तमान मव सं० 7(ए) के बाध निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“7(बी०) ई० आई० कमायी हुई तथा गीली नीली खालें और चमड़े तथा पपड़ीदार चमड़े सहित अर्थ-संशोधित खालों तथा चमड़ों की सभी श्रेणियां।”

[संख्या ई० (सी) ओ, 1968/ए एस(89)]

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।